

कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा (राज.)

क्रमांक: स्था./2026/ 86

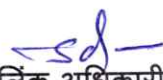
दिनांक: 16-10-26

// संशोधित रिमाण्ड ड्यूटी बाबत कार्यालय आदेश //

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **मुझ शुभ्रा शर्मा** आर.जे.एस.(लिक अधिकारी) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा द्वारा न्यायिक अधिकारीगण की आपसी सहमति के आधार इस कार्यालय के पूर्व कार्यालय आदेश क्रमांक 85 दिनांक 15.10.2026 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री अक्षय अवस्थी विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (NI Act प्रकरण), दौसा जिला दौसा की दिनांक 22 अक्टूबर, 2026 को नियत प्रोटोकॉल/रिमाण्ड निरस्त करते हुए इनके स्थान पर सारणी में अंकित न्यायिक अधिकारी को प्रोटोकॉल/रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य सम्पादित करने हेतु अधिकृत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	दिनांक
01	श्री तिथान जांगिड	न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा	22 अक्टूबर, 2026

नोट:- शेष पूर्व आदेश यथावत रहेगा।


(लिक अधिकारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
दौसा, जिला-दौसा (राज.)

क्रमांक:- 2755

दिनांक:- 16-10-26

प्रतिनिधि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 01- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, दौसा
- 02- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, दौसा वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र
- 03- श्रीमान सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दौसा
- 04- सम्बन्धित अधिकारी सर्व श्री
- 05- प्रोटोकॉल अधिकारी, जिला न्यायालय दौसा
- 06- लोक अभियोजक, जिला न्यायालय दौसा
- 07- अध्यक्ष/सचिव बार एसोसिएशन, न्यायालय परिसर दौसा
- 08- उप- निदेशक, अभियोजन विभाग दौसा
- 09- प्रभारी अधिकारी, पुलिस कंट्रोल रूम दौसा
- 10- जिला कारागृह दौसा
- ✓ 11- सिस्टम ऑफीसर जिला न्यायालय दौसा सभी पीठासीन अधिकारियों एवं न्यायालय को मेल करें तथा जिला न्यायालय दौसा की वेबसाईट पर इस आदेश को अपलोड करें।
- 12- आदेश पत्रावली/नोटिस बोर्ड


(लिक अधिकारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
दौसा, जिला-दौसा (राज.)

कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा (राज.)

क्रमांक: स्था./2026/ 87

दिनांक: 16/10/26

संशोधित रिमाण्ड ड्यूटी बाबत कार्यालय आदेश

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुझ शुभा शर्मा आर.जे.एस.(लिक अधिकारी) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा द्वारा माह अक्टूबर, 2026 में पडने वाले अवकाशों के दिन दौसा जिला न्यायक्षेत्र के समस्त थानों की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्य (जैसे कि न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड, पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड, प्रोटोकॉल, मृत्युकालीन कथन, जमानत प्रार्थना-पत्र एवं अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य) की सुनवाई हेतु निम्न पीठासीन अधिकारीगण को अधिकृत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम न्यायिक अधिकारी	पदनाम एवं पीठासीन अधिकारी के न्यायालय में बैठने का स्थान	दिनांक	संबंधित रीडर का नाम एवं मो.नंबर
01	श्री विनोद कुमार खर्वा	न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिकराय	18 अक्टूबर, 2026	श्री लालबहादुर, 8769210312
02	श्री लोकेश कुमार मीना	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा	19 अक्टूबर, 2026	श्री धर्मवीर, 9413049546
03	श्रीमती रोमा भाटिया	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदीकुई	20 अक्टूबर, 2026	श्री पूरण सैनी, 8302459267
04	श्री तिशन जांगिड	न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा	21 अक्टूबर, 2026 22 अक्टूबर, 2026	श्री मिलन परेवा, 8005609606
05	श्रीमती आशा शर्मा	न्यायिक मजिस्ट्रेट बांदीकुई	23 अक्टूबर, 2026	श्री मिलन परेवा, 8005609606
06	श्रीमती सीमा मीना	न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा	24 अक्टूबर, 2026	श्री कुंदन जैन, 7791877069
07	सुश्री श्रद्धा शर्मा	अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा	25 अक्टूबर, 2026	श्री प्रमोद, 9828209981

निर्देश:-

- 01- अवकाश के दिन न्यायालय में बैठने का समय 10.30 ए.एम. से 02.00 पी.एम. तक रहेगा।
- 02- विशेष परिस्थितियों में मुलजिम को निवास पर पेश करते समय निवास स्थान में प्रवेश न कराकर बाहर रखा जावे तथा मुलजिम को पेश करने वाला अधिकारी सम्बन्धित रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार कार्यवाही करें।
- 03- अधिकृत किए गए पीठासीन अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्यदिवस के कार्यालय समय पश्चात् से पश्चातवर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक रिमाण्ड ड्यूटी/प्रोटोकॉल का कार्य सम्पादित करेंगे।
- 04- यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के ठीक पश्चातवर्ती दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व निर्धारित दिवस के लिए नियत किये गये थे।
- 05- नियत किये गये दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को ड्यूटी करने में असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की लिखित सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे तथा इस कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करेंगे।

(शुभा शर्मा)

(लिक अधिकारी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
दौसा, जिला-दौसा (राज.)

दिनांक:- 16/10/26

क्रमांक:- 2778

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 01- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, दौसा
- 02- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, दौसा वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र
- 03- श्रीमान सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दौसा
- 04- सम्बन्धित अधिकारी सर्व श्री
- 05- प्रोटोकॉल अधिकारी, जिला न्यायालय दौसा
- 06- लोक अभियोजक, जिला न्यायालय दौसा
- 07- अध्यक्ष/सचिव बार एसोसिएशन, न्यायालय परिसर दौसा/सिकराय/बांदीकुई/लालसोत/महवा
- 08- रूपा- निदेशक, अभियोजन विभाग दौसा
- 09- प्रभारी अधिकारी, पुलिस कंट्रोल रूम दौसा
- 10- विशिष्ट कारागृह श्यालावास/जिला कारागृह दौसा/उपकारागृह बांदीकुई
- 11- सिस्टम ऑफीसर जिला न्यायालय दौसा सभी पीठासीन अधिकारियों एवं न्यायालय को मेल करें तथा जिला न्यायालय दौसा की बेवसाईट पर इस आदेश को अपलोड करें।
- 12- आदेश पत्रावली/नोटिस बोर्ड

(शुभा शर्मा)

(लिक अधिकारी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
दौसा, जिला-दौसा (राज.)